International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 5, Issue 5, Sep.-Oct., 2025, pp: 289-294 ISSN: 3048-6874
www.ijhssm.org

भारत में अवैध प्रवासी: समस्या और समाधान

धन राज
शोधार्थी
हिंदी एवं तुलनात्मक विभाग
केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय

Date of Submission: 10-09-2025 Date of Acceptance: 22-09-2025

शोध सार

भारतीय उपमहाद्वीप की खुली और अर्ध-खुली सीमाएँ, जटिल भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ, असमान विकास, मानवीय संकट और तस्करी के नेटवर्क - ये सभी कारण भारत में "अवैध प्रवासन" (illegal migration) की बहुआयामी चुनौती को जन्म देते हैं। भारतीय क़ानून "अवैध प्रवासी" को ऐसे विदेशी के रूप में परिभाषित करता है जो वैध यात्रा दस्तावेज़ों के बिना देश में दाख़िल हुआ हो या वैध अवधि से अधिक ठहरा हो। इस चुनौती के साथ मानवीय दायित्व, आतंरिक सुरक्षा, श्रम-बाज़ार, शहरी अवसंरचना, कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय क़ानून के प्रश्न सीधे टकराते हैं। भारत शरणार्थी-संरक्षण पर 1951 के सम्मेलन/1967 प्रोटोकॉल का पक्षकार नहीं है; देश में शरण या आश्रय पर कोई समर्पित कानून भी नहीं है - फलतः नीति-प्रतिक्रिया अक्सर "विषय-विशेष" और "राज्य-विशेष" होती है। हाल के वर्षों में नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) के नियम (मार्च 2024) अधिसूचित हुए; भारत–म्याँमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था (FMR) को 2024 में निलंबित/समाप्त करने की दिशा में कदम उठे; और सर्वोच्च न्यायालय ने 2021 के अंतरिम आदेश में रोहिंग्याप्रत्यावर्तन पर रोके जाने की मांग नहीं मानी, पर "क़ानूनी प्रक्रिया" का पालन अनिवार्य बताया।

इन सबने कानूनी-प्रशासनिक परिदृश्य को बदल दिया है।यह शोधपत्र अवैध प्रवासन की परिभाषा, इतिहास, वर्तमान परिदृश्य, कारणों व प्रभावों का विश्लेषण करता है; साथ ही विधिक सुधार (राष्ट्र-स्तरीय शरण/आश्रय क़ानून), सीमा-प्रबंधन के स्मार्ट/मानवीय उपाय, अंतर-एजेंसी डेटा-साझाकरण, न्यायिक प्रक्रियाओं में मानवाधिकार-सुरक्षा, और श्रम तथा शहरी नीति में व्यावहारिक एकीकरण/वापसी-उन्मुख मार्ग सुझाता है। उद्देश्य यह है कि "सुरक्षा" और "मानवता" दोनों के बीच एक कार्यकारी संतुलन संभव बनाया जाए।

बीज शब्द:अवैध प्रवासी, शरणार्थी नीति,सीमा-प्रबंधन (CIBMS), CAA 2019, FMR, रोहिंग्या आदि

प्रस्तावना: परिप्रेक्ष्य और समस्या का व्यावहारिक अर्थ

वैश्विक स्तर पर प्रवासन 2024 तक लगभग 30.4 करोड़ व्यक्तियों तक पहुँचा, यानी विश्व जनसंख्या का करीब 3.7%और रुझान बढ़ता हुआ है। भारत, एक विशाल अर्थव्यवस्था और भौगोलिक रूप से "पारगमन-सह-गंतव्य" देश होने के कारण, वैध व अवैध दोनों तरह के प्रवास से निरंतर प्रभावित रहा है। वैश्विक आँकड़ों का उद्देश्य यहाँ केवल पृष्ठभूमि देना है; वास्तविक चुनौती यह है कि भारत में "अवैध प्रवासन" को कैसे परिभाषित, मापा और शासित किया जाए, ताकि सुरक्षा और मानवता दोनों की मांगें पूरी हों। (Migration Data Portal)

भारत ने शरणार्थी-सुरक्षा पर 1951 के सम्मेलन व 1967 प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन नहीं किया है; साथ ही कोई राष्ट्रीय शरण/आश्रय क़ानून भी नहीं है। इससे शरण चाहने वाले व्यक्तियों के साथ व्यवहार काफी हद तक प्रशासनिक परिपत्रों, स्थानीय व्यवस्थाओं और न्यायालयों के दिशानिर्देशों पर निर्भर रहता है। अंतरराष्ट्रीय मानकजैसे गैर-निष्कासन (non-refoulement)का अनुपालन भारत सामान्यतः नैतिक/व्यावहारिक रूप से करता है, किंतु वह संविदात्मकबाध्यता नहीं है। (migrationpolicy.org)

अवधारणा व शब्दावली: "अवैध प्रवासी" कौन?

(क)क़ानूनी परिभाषा-नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 2(1)(b) के अनुसार "अवैध प्रवासी" वह विदेशी है जो (i) वैध पासपोर्ट या अन्य यात्रा-दस्तावेज़ के बिना भारत में प्रवेश कर गया, या (ii) वैध दस्तावेज़ों/वीज़ा की अवधि से अधिक समय तक ठहर गया। यह परिभाषा नागरिकता अर्जन पर भी प्रभाव डालती है, क्योंकि अवैध प्रवासी सामान्यतः नागरिकता पाने का पात्र नहीं होता (अपवाद/विशेष प्रावधानों को छोड़कर)। (India Code)

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 5, Issue 5, Sep.-Oct., 2025, pp: 289-294 ISSN: 3048-6874
www.ijhssm.org

(ख)विदेशी और प्रवेश-नियम-विदेशियों का अधिनियम, 1946 "foreigner" को "भारतीय नागरिक नहीं" के रूप में परिभाषित करता है और केंद्र सरकार को विदेशी नागरिकों के आवागमन/निवास/निर्वासन संबंधी व्यापक अधिकार देता है। पासपोर्ट अधिनियम, 1967 एवं पासपोर्ट (Entry into India) नियम, 1950 वैध दस्तावेज़ के बिना प्रवेश को निषिद्ध करते हैं। सीमा-प्रवेश-बिंदुओं की अधिसूचना और उल्लंघन पर दंडात्मक प्रावधान लागू होते हैं। (India Code)

(ग)निर्धारण-तंत्र- "फॉरेनर्स (ट्राइब्यूनल्स) ऑर्डर, 1964" के तहत विदेशी होने/न होने का प्रश्न सक्षम प्राधिकरण द्वारा गठित ट्राइब्यूनल को संदर्भित किया जा सकता है। 2019 तक इसमें कई संशोधन हुए; आदेश पूरे देश के लिए लागू है। (India Code)

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: असम आंदोलन से IMDT एक्ट तक

पूर्वोत्तर में 1970–80 के दशक में अवैध प्रवासन का प्रश्न व्यापक जन-आंदोलन का विषय रहा। 1983 का IMDT अधिनियम (असम-विशेष) विदेशी पहचान प्रक्रिया के लिए बना, पर 2005 में सर्वोच्च न्यायालय नेसरबानंदसोनोवाल बनाम संघमें इसे असंवैधानिक बताकर निरस्त कर दिया।न्यायालय ने कहा कि बाह्य-आक्रमण से राज्य की रक्षा (अनुच्छेद 355) केंद्र की संवैधानिक जिम्मेदारी है और अवैध प्रवासन को "बाह्य आक्रमण" के रूप में भी देखा जा सकता है; साथ ही अभियोजन-पक्ष पर डाला गया अत्यधिक सबूत-भार अव्यावहारिक था। इस निर्णय ने "पहचान-निष्कासन" तंत्र को पूरे देश में विदेशियों के अधिनियम के सामान्य ढांचे पर वापस ला खड़ा किया। (partitiondisplacements.com)

समकालीन परिदृश्य: हाल की नीतियाँ और न्यायिक रुख

(क) CAA 2019 और नियम-अधिसूचना (2024) -मार्च 2024 में केंद्र सरकार ने CAA के नियम अधिसूचित किए, जिसके बाद मई 2024 में प्रथम नागरिकता प्रमाणपत्र जारी हुए। यह कानून अफ़ग़ानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के कुछ गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों (कटऑफ़ तिथि 31 दिसम्बर 2014) को तीव्र/सरल प्राकृतिककरण का मार्ग देता है; आलोचकों ने इसकी समावेशन-सीमा पर प्रश्न उठाए हैं। (Press Information Bureau)

(ख)भारत–म्याँमार सीमा-व्यवस्था-फरवरी 2024 में गृह मंत्रालय ने भारत–म्याँमार के लिए "फ्री मूवमेंट रेजीम" (FMR) को तत्काल निलंबित कर समाप्त करने की सिफ़ारिश करते हुए सुरक्षा एवं जन-आकृति (demographic) के सरोकारों का हवाला दिया। इसके बाद सीमा-बाड़ व स्मार्ट फ़ेंसिंग पर बल बढ़ा। (Press Information Bureau)

(ग)न्यायिक दृष्टिकोण: रोहिंग्या मामला- 8 अप्रैल 2021 के अंतरिम आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने जम्मू में निरुद्ध रोहिंग्या की रिहाई/प्रत्यावर्तन-निरोध का आग्रह स्वीकार नहीं किया, पर यह स्पष्ट किया कि किसी भी प्रत्यावर्तन में "विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया" का पालन अनिवार्य है। 2025 में कोर्ट ने "भारत में निवास का अधिकार नागरिकों के लिए"- इस सिद्धांत को दोहराते हुए दख़ल से परहेज़ किया। यह रुख गैर-निष्कासन के अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत और घरेलू विधि के संतुलन पर नई बहस खड़ी करता है। (Indian Kanoon)

(घ)जमीनी-स्तर की कार्रवाइयाँ-अस्थिर सीमावर्ती राज्यों में अवैध प्रवासन-रोधी विशेष टास्क-फोर्स, SOP तथा संयुक्त-पहरे जैसे उपाय सक्रिय हैं। मणिपुर पुलिस द्वारा 2025 में ज़िलों में STF बनाना इसी क्रम का ताज़ा उदाहरण है। (The Times of India)

कारण: लोग सीमा क्यों पार करते हैं?

1. राजनीतिक-मानवीय संकट:सैन्य तख़्तापलट/गृहयुद्ध (म्याँमार-2021) और जातीय-धार्मिक हिंसा (रोहिंग्या) जैसे संकट लोगों को सीमाएँ पार करने को मजबूर करते हैं। (Reuters)
2. आर्थिक-पर्यावरणीय कारक:आजीविका के अवसर, मज़दूरी का अंतर, जलवायु-आघात, और सीमा-पार सामाजिक नेटवर्क।
3. भौगोलिक सहजता:भारत–बांग्लादेश/नेपाल/म्याँमार जैसी लंबी, कठिन भू-सीमाएँ जहाँ पारगमन स्वाभाविक रूप से चुनौतीपूर्ण है; कई हिस्सों में ऐतिहासिक-सांस्कृतिक संपर्क बहुत गहरे हैं। (Ministry of Home Affairs)
4. तस्करी-रैकेट और दस्तावेज़-दुरुपयोग:मानव-तस्करी, नकली दस्तावेज़, और बिचौलिया-नेटवर्क।

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 5, Issue 5, Sep.-Oct., 2025, pp: 289-294 ISSN: 3048-6874
www.ijhssm.org

5. शहरी आकर्षण और असंगत श्रम-नीतियाँ:सस्ते/अनियमित श्रम की माँग और शहरी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की खिंचाव-शक्ति।

प्रभाव: सुरक्षा से मानवाधिकार तक

(क) सुरक्षा-परक चिंताएँ:सीमा-पार अपराध, तस्करी, और घुसपैठ की आशंकाएँ; संवेदनशील राज्यों में सामुदायिक तनाव; प्रशासनिक बोझ। स्मार्ट फ़ेंसिंग/सेंसर-आधारित CIBMS जैसे उपाय इन्हीं चिंताओं का तकनीकी उत्तर हैं। भारत जैसे विविधताओं से परिपूर्ण देश में यदि आंतरिक सुरक्षा को लेकर सवाल उठता है तो फिर किसी भी सरकार को अपने देश व नागरिकों की सुरक्षा हेतु उपयुक्त कदम उठाने ही होंगे।(Ministry of Home Affairs)

यदि आवश्यक कदम नहीं उठाए गये तो वह स्थिति दूर नहीं जिससे अभी यूरोपीय देश स्वयं कितने बुरे हालातों में है आए दिन अपराध का होना व आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हुआ है। जिससे के कारन वहाँ के मूल निवासी उनको बहार निकलने की माँग तक कर रहे है तथा कुछ देशों ने अवैध प्रवासियों पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगा दिया है।

(ख) सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:अनौपचारिक क्षेत्र में सस्ती/अपर्याप्त रूप से विनियमित श्रम की आपूर्ति; शहरी अवसंरचना- आवास, जल/स्वच्छता, विद्यालयों और स्वास्थ्य-सेवाओं पर दबाव; किन्तु साथ हीकुछ क्षेत्रों में श्रम-अभाव की पूर्ति, छोटे उद्यमों को लागत-लाभ।

(ग) कूटनीतिक आयाम:पड़ोसी देशों के साथ रिटर्न/री-एडमिशन, सीमा-समन्वय, खुफ़िया-सहयोग और विकास-साझेदारी के प्रश्न।

(घ) मानवाधिकार और विधिक-दुविधा:भारत का गैर-हस्ताक्षरकर्ता होना (1951/67) तथा शरण-क़ानून का अभाव, "अवैध प्रवासी" और "शरणार्थी/आश्रयार्थी" के बीच व्यावहारिक अंतर को धुंधला कर देता है। गैर-निष्कासन का सिद्धांत सार्वभौमिक मानवाधिकार-ढाँचे में केंद्रीय माना जाता है, पर भारतीय न्यायिक/प्रशासनिक परिदृश्य इसे घरेलू क़ानूनों के अनुरूप ही लागू करता है। (migrationpolicy.org)

(ङ) संवेदनशील केस-स्टडी (रोहिंग्या):ख़बरों/एजेंसियों के अनुसार भारत में रोहिंग्या आबादी हज़ारों में है; हाल के वर्षों में हिरासत, प्रत्यावर्तन और कथित समुद्री-निर्वासन जैसी घटनाओं पर विवाद/विमर्श बढ़ा है- जो घरेलू विधि, अंतरराष्ट्रीय दायित्व और मानवीय सरोकारों के जटिल संगम को उजागर करता है। (AP News)

कानूनी-संस्थागत ढाँचा: क्या है और कहाँ कमी है?

(क) मौजूदा क़ानून:विदेशियों का अधिनियम, 1946; पासपोर्ट अधिनियम, 1967; पासपोर्ट (Entry into India) नियम, 1950; और "फॉरेनर्स (ट्राइब्यूनल्स) ऑर्डर, 1964"ये मूल ढांचे हैं। इनसे प्रवेश-नियम, पंजीकरण, हिरासत/निर्वासन, और "विदेशी" की पहचान का तंत्र संचालित होता है। (India Code)

(ख) न्यायिक राह:सोनोवाल (2005) ने IMDT को निरस्त किया; मो. सलीमुल्लाह (2021) ने प्रक्रिया-अनुपालन पर बल देते हुए तत्काल राहत से परहेज़ किया। अदालतों का सार यह है कि मौलिक अधिकारों के दायरे में "निवास/बसने का अधिकार" नागरिक-विशेष है; अतः विदेशी के निर्वासन-प्रश्न में विधि-सम्मत प्रक्रिया सर्वोपरि है। (partitiondisplacements.com)

(ग) नीतिगत पहल: CAA-2019 के नियम (मार्च 2024) लागू होने से कुछ श्रेणियों के लिए नागरिकता के रास्ते स्पष्ट हुए; वहीं FMR-निलंबन और सीमा-बाड़/स्मार्ट फ़ेंसिंग का विस्तार सुरक्षा-पहलों की दिशा बताता है। (Press Information Bureau)

(घ) प्रशासनिक/सीमाईअवसंरचना: BSF/SSB/ITBP जैसी बलों के साथ LPAI-समर्थित इंटीग्रेटेड चेक-पोस्ट, और CIBMS- जिनमें सेंसर, कैमरे, कमांड-एंड-कंट्रोल- का समुच्चय, कठिन भूभागों में "non-intrusive" निगरानी का औज़ार है। (Ministry of Home Affairs)

क्षेत्रीय-सीमाई आयाम

भारत की भूमि-सीमाएँ—बांग्लादेश (≈4097 किमी), पाकिस्तान (≈3323 किमी), नेपाल (≈1751 किमी), म्याँमार आदिलंबी, विविध भूगोल वाली और सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से अंतर्संबद्ध हैं। यह परिघटना "व्यापार-आवागमन" और "अवैध पारगमन" के बीच महीन रेखा को प्रशासन के लिए जटिल बना देती है। बांग्लादेश/म्याँमार सीमाओं पर "स्मार्ट फ़ेंसिंग/पायलट" और फील्ड-इन्फ्रास्ट्रक्चर का विस्तारइन्हीं जटिलताओं का उत्तर हैं। (Ministry of Home Affairs)

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 5, Issue 5, Sep.-Oct., 2025, pp: 289-294 ISSN: 3048-6874
www.ijhssm.org

डेटा और अनिश्चितता: "गिनती" करना क्यों कठिन है?

अवैध प्रवासन का स्वभाव ही परिभाषा-जन्य और प्रकटन-विरोधी होता है; इसलिए "ठोस संख्या" पर सहमति मुश्किल रहती है। कुछ समुदायों (जैसे रोहिंग्या) के संबंध में UNHCR-पंजीकरण के आँकड़े उपलब्ध होते हैं, पर "कुल" अनुमान अलग-अलग हो सकते हैं और अक्सर विवादास्पद रहते हैं। नीति-निर्माण के लिए यही अनिश्चितता प्रमुख चुनौती हैक्योंकि संसाधन-वितरण, शहरी-योजना और सीमा-प्रबंधन सभी पर असर पड़ता है। (AP News)

समाधान-पथ: सुरक्षा और मानवता के संतुलन के साथ

विधिक सुधार

1. राष्ट्र-स्तरीय शरण/आश्रय क़ानून: भारत की वास्तविकताओं के अनुरूप एक "आश्रय-विधेयक" जो (i) शरण/मानवीय संरक्षण, (ii) अस्थायी संरक्षित दर्जा, (iii) अपील-तंत्र और (iv) non-refoulement के व्यावहारिक अनुप्रयोगइन सब पर स्पष्टता दे। इससे "अवैध प्रवासी" बनाम "आश्रयार्थी" के बीच प्रशासनिक-न्यायिक भेद साफ़ होगा। अंतरराष्ट्रीय मानकों का सृजनात्मक अनुकरण संभव है, भले भारत सम्मेलन का पक्षकार न हो। (migrationpolicy.org)
2. नागरिकता/आप्रवासनसमेकन: नागरिकता अधिनियम, विदेशियों का अधिनियम और पासपोर्ट-क़ानूनों के अंतःसंबंधों को सरल-समेकित करने की दिशा (ट्राइब्यूनल प्रक्रियाओं का मानकीकरण, समय-सीमा, कानूनी सहायता)।
3. न्यायिक प्रक्रिया-सुरक्षा: हिरासत-पूर्व वैकल्पिक उपाय (जैसे सामुदायिक जमानत), निरुद्ध व्यक्तियों के लिए कानूनी सहायता/अनुवाद/परामर्श, और बच्चों/महिलाओं के लिए संवेदनशील व्यवस्थाएँताकि "कानून का शासन" और मानव-गरिमा साथ-साथ चलें।

सीमा-प्रबंधन: "स्मार्ट" और लोगों-केन्द्रित

1. CIBMS/स्मार्ट फ़ेंसिंग का विस्तार: कठिन और नदी-मुखी हिस्सों में सेंसर-हब, ऑप्टिकल/IR कैमरे, ग्राउंड-सर्विलांस रडार, कमांड-सेंटर का नेटवर्क; साथ ही after-action डेटा-विश्लेषण। (Ministry of Home Affairs)
2. स्थानीय समुदाय-साझेदारी: सीमावर्ती ग्राम समितियाँ, तटीय/नदीयपुलिसिंग के साथ "मानव-तस्करी-रोधी" हॉटलाइन।
3. FMR-पुनर्रचना: जहाँ FMR निलंबित/समाप्त है, वहाँ सीमा-वर्ती जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक हितों की रक्षा हेतु "कठोर पहचान + कोमल आवागमन" (secure but sensitive mobility)सीमित दूरी, बायोमेट्रिक पास, स्वास्थ्य/शिक्षा हेतु नियंत्रित आवागमन—जैसी व्यवस्थाएँ सोची जा सकती हैं। (Press Information Bureau)

डेटा-प्रशासन और समन्वय

1. एकीकृत प्रवासन-डेटा प्लेटफ़ॉर्म: MHA, MEA, राज्यों, LPAI और शहर-प्रशासन के बीच inter-operable डेटाबेसप्राइवेसी-दिशानिर्देशों के साथताकि "कौन-कहाँ-कब" की जानकारी विश्वसनीय हो।
2. विश्लेषणात्मक जोखिम-मानचित्र: सीमा-सेक्टर और शहरी वार्ड-स्तर पर "रुझान-मानचित्र" बनाकर संसाधन-आवंटन (स्कूल, स्वास्थ्य, आवास) का अग्रिम नियोजन।

शहरी और श्रम-नीति

1. अस्थायी कार्य-अनुमति/रजिस्ट्रेशन: जिन व्यक्तियों का त्वरित प्रत्यावर्तन संभव नहीं, उनके लिए समय-बद्ध, परिमित अधिकारों के साथ अस्थायी कार्य-अनुमतिताकि अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में शोषण घटे, टैक्स/सेस-आधार बने, और सार्वजनिक व्यवस्था सुदृढ़ हो।
2. शहर-स्तरीय "इंटीग्रेशन-लाइट": आवास-क्लस्टर, लक्षित स्वास्थ्य-टीकाकरण, बच्चों की स्कूल-एंट्री, भाषा/कौशल प्रशिक्षण।

International Journal of Humanities Social Science and Management (IJHSSM)
Volume 5, Issue 5, Sep.-Oct., 2025, pp: 289-294 ISSN: 3048-6874
www.ijhssm.org

3. मानव-तस्करी-रोधी पैकेज: पीड़ित-केंद्रित सेवाएँ, फास्ट-ट्रैक विशेष अदालतें, और सीमा-पार सिंडिकेट पर संयुक्त कार्रवाई।

कूटनीति और पड़ोसी-सहभागिता

1. पुनः-प्रवेश/वापसी-समझौते: दस्तावेज़-सत्यापन, चार्टर-वापसी, और पुनर्वास-सहायता पर स्पष्ट प्रोटोकॉल।
2. विकास-साझेदारी: सीमा-पार जिलों में रोज़गार/कौशल/कनेक्टिविटी परियोजनाएँ ताकि "प्रेरक-कारक" कम हों।
3. संवेदनशील संवाद: बाड़/स्मार्ट फ़ेंसिंग पर पड़ोसियों की आशंकाओं का समाधानतकनीकी-पारदर्शिता, मानवाधिकार अंकेक्षण ताकि द्विपक्षीय रिश्तों में विश्वास बना रहे। (The Diplomat)

न्यायिक-मानवीय संतुलन

1. गैर-निष्कासन की due-process व्याख्या: सर्वोच्च न्यायालय के 2021 के मार्गदर्शन"विधि-सम्मत प्रक्रिया का पालन"को मानवीय मानकों के साथ जोड़ना; जोखिम-आकलन (risk assessment) और individualised निर्णय। (Indian Kanoon)
2. कमज़ोर समूहों के लिए विशेष प्रोटोकॉल: बच्चों, अकेली महिलाओं, मानव-तस्करी पीड़ितों, और चिकित्सा-आपात स्थिति वालों के लिए "तत्काल राहत + निगरानी" की दोहरी राह।

बहस के कठिन प्रश्न: नीति-न्याय की रेखा कहाँ खींचें?

- क्या अवैध प्रवासन को केवल सुरक्षा-समस्या मानना पर्याप्त है?- नहीं; इससे तस्करी/शोषण बढ़ता है और "ख़ामोश आबादी" असंगठित रहती है।
- क्या मानवीय दृष्टिकोण से सीमा-निगरानी ढीली कर दी जाए?- नहीं; इससे स्थानीय समुदायों, संसाधनों और क़ानून के शासन पर विपरीत असर हो सकता है।
- तो फिर समाधान?"कठोर पहचान + कोमल सेवा वितरण"; smart borders, humane cities का मिश्रित मॉडल।

निष्कर्ष

भारत में अवैध प्रवासन एक दीर्घकालीन, बहु-कारणी और राजनीतिक रूप से संवेदनशील प्रश्न है। पिछले दो दशकों के कानूनी/नीतिगत फैसलों - सोनोवाल (2005), CAA (2019/2024 नियम), FMR-निलंबन (2024), और रोहिंग्या-विवाद (2021–25)- ने यह स्पष्ट किया है कि "कानून, सुरक्षा, और मानवता" की त्रिवेणी में संतुलन साधे बिना न टिकाऊ शांति संभव है, न ही सुशासन।

इस शोधपत्र का आग्रह है कि भारत एकतीन सूत्रीयरणनीति अपनाए(1) स्पष्ट व न्यायसंगत शरण/आश्रय क़ानून; (2) प्रौद्योगिकी-समर्थ, समुदाय-साझेदार सीमा-प्रबंधन; और (3) शहरी-श्रम नीतियों में अस्थायी-किंतु-विनियमित एकीकरण/वापसी तंत्र। तभी "अवैध" का दायरा सिकुड़ेगा, "अमानवीय" स्थितियाँ घटेंगी, और "वैध" तथा "मानवीय"दोनों साथ-साथ चल सकेंगे।

संदर्भ सूची (Reference)

1. नागरिकता अधिनियम, 1955, धारा 2(1)(b) - "अवैध प्रवासी" की परिभाषा। भारत कोड। (India Code)
2. PRS इंडिया ब्लॉग: Explainer: The Citizenship (Amendment) Bill, 2019 - "अवैध प्रवासी" पर नागरिकता-अधिग्रहण प्रतिबंध की व्याख्या। (PRS Legislative Research)
3. PIB, भारत सरकार: Citizenship (Amendment) Rules, 2024- 11 मार्च 2024 को अधिसूचित; मई 2024 में प्रथम प्रमाणपत्र जारी। (Press Information Bureau)
4. Foreigners Act, 1946 -विदेशी नागरिकों पर नियंत्रण के व्यापक प्रावधान। भारत कोड। (India Code)
5. Passport (Entry into India) Rules, 1950 - वैध दस्तावेज़/प्रवेश-बिंदु की अनिवार्यता। इंडियन क़ानून। (Indian Kanoon)
6. Foreigners (Tribunals) Order, 1964 - विदेशी/न-विदेशी निर्धारण हेतु ट्राइब्यूनल का तंत्र। भारत कोड/PIB नोट। (India Code)

7. सरबानंदसोनोवाल बनाम संघ (2005) - IMDT अधिनियम निरस्त; बाह्य-आक्रमण व सबूत-भार पर टिप्पणी। (केस संक्षेप). (partitiondisplacements.com)

8. मो. सलीमुल्लाह बनाम संघ (2021), SC अंतरिम आदेश-रोहिंग्याप्रत्यावर्तन पर "विधि-सम्मत प्रक्रिया" का आग्रह। इंडियन क़ानून/SC Observer। (Indian Kanoon)

9. UNHCR/अंतरराष्ट्रीय शरण-क़ानून- 1951 कन्वेंशन का अवलोकन; गैर-निष्कासन का सिद्धांत। (UNHCR)

10. Migration Policy Institute (2020) -भारत में शरण-क़ानून का अभाव और नीतिगत अंतराल। (migrationpolicy.org)

11. MHA वार्षिक प्रतिवेदन (2022–23) - CIBMS/स्मार्ट फ़ेंसिंग की रूपरेखा। (Ministry of Home Affairs)

12. PIB (2018/19) - CIBMS पायलट/विस्तार के तथ्य। (Press Information Bureau)

13. PIB (फरवरी 2024) -भारत–म्याँमारFMR निलंबन/समाप्ति की प्रक्रिया। (Press Information Bureau)

14. UN-/IOM-आधारित आँकड़े (2024–25) - वैश्विक प्रवासन का परिप्रेक्ष्य। (Migration Data Portal)

15. समाचार/एजेंसी रिपोर्ट्स: AP/Reuters/ToI-रोहिंग्या, म्याँमार-वापसी/निर्वासन, और राज्य-स्तरीय STF। (AP News)